14.9.21	बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद न तो अपीलान्ट एवं न ही उनके अभिभावक हाजिर अदालत आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
पीठासीन
राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible] कैम्प-धौलपुर